न्यायालय- माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर , केम्प, सागर म0प्र0

पंकज मुखारया पिता श्री मनोहरलाल मुखारया,

निवासी- 2/48, सदर बाजार, सागर,तहसील व जिला सागर म0प्र0

......आवेदक/अपीलार्थी.

// विरूद्ध //

1. मध्य प्रदेश शासन

2. जी0 बी0 सराफ वल्द बलराम सराफ

निवासी- लक्ष्मीपुरा वार्ड,सागर,तहसील व जिला सागर म0प्र0

.....अनावेदक/प्रतिअपीलार्थीगण

अपील प्र0क्र0- /15-16 ता0प्रस्तुति- 16.09.2015

अपील अन्तर्गत धारा- 47 §क§ §ख§ §4§ मुद्रांक अधिनियम 1899

अपीलार्थी निम्नांकित अनुसार निवेदन करता है :-

यह अपील/रिवी0 अधीनस्थ न्यायालय माननीय अति0 कमिश्नर महोदय, सागर संभाग, सागर म0प्र0 के अपील प्रकरण क्र0-716/बी-105/वर्ष 2012-13 में पारित आदेश दिनांक- 12 अगस्त 2015 से परिवेदित होकर माननीय के समक्ष निम्नांकित तथ्यों व आधारों पर प्रस्तुत है :-

§§ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य §§

1. यह कि, आवेदक/अपीलार्थी ने न्यायालय श्रीमान कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक सागर के राजस्व प्रकरण क्रमांक- 121/ ब- 105/ वर्ष 2010-11 पक्षकार- म0 प्र0 शासन द्वारा उप पंजीयक सागर - विरूद्ध - पंकज मुखारया वगैरह" में पारित आदेश दिनांक- 26.02.2013 के विरूद्ध एक अपील धारा- 47 §क§ §ख§ §4§ मुद्रांक अधिनियम- 1899 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर महोदय सागर संभाग,सागर के समक्ष प्रस्तुत की थी , जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर सुनवाई कर

...2.

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक A 3444/II/15 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4.3.16	~~मैंने~~ हमने प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा नस्ती में अवस्थित समस्त अभिलेखों का परिशीलन किया। ऐसा करने पर मैं प्रकरण में निम्न बिन्दु प्रमुखता से विचार एवं टीप योग्य पाता हूँ :- (क) जिला पंजीयक द्वारा क्रेता एवं विक्रेता दोनों को आहूत कर सुनवाई का मौका दिया गया है। (सन्दर्भ : आक्षेपित आदेश) (ख) कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स की ओर से स्थल निरीक्षण अपीलार्थी के साथ हुआ है। (संदर्भ : आक्षेपित आदेश) (ग) उपरोक्त (क) एवं (ख) का नाराजी अभी में कहीं विरोध नहीं किया गया है। (घ) अपीलार्थी का यह कहना कि भूमि की दर रु. 12,000/- प्रति व.मी. के आधार पर कीमत की गणना की जानी चाहिए, [illegible] उक्त सम्पत्ती गुजराती बाजार के निकट है जहाँ [illegible] उक्त सम्पत्ती की दर रु. 24,000/- प्रति व.मी. [illegible] कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स द्वारा, उपपंजीयक के प्रस्ताव के अनुसार	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	मानते हुए, उसमें 15% की कमी उसके व्यावसायिक गतिविधियों के क्षेत्र में नहीं होने, पीछे रास्ता बन्द होने, अन्य मकानों के पीछे होने, निकट का टॉकीज़ बन्द होने और मुख्य मार्ग से कुछ अन्दर होने के कारण, की गई है। अपर आयुक्त एवं कलेक्टर के आक्षेपित आदेशों के परिशीलन से यह स्पष्ट नहीं होता कि उन्होंने, 15% कमी के पूर्व की उक्त रु.24,000/- प्रति व.मी. की दर किन आधारों पर नियत की है। उन्होंने संबंधित वर्ष की गाइडलाइन में इस दर के होने का हवाला अपने आदेशों में नहीं लिया है, न ही किन्हीं निकटवर्ती समकालीन विक्रय संव्यवहारों का संदर्भ लेकर उक्त दर का कोई आधार विकसित एवं अभिलिखित किया है। इस न्यायालय के आवेदक द्वारा मुख्य आपत्ती इसी बिन्दु पर लेते हुए उसके द्वारा बताई गई दर रु.12,000/- के मान से मूल्य की गणना किए जाने की मांग की गई है जिसका भी क्या आधार है यह स्पष्ट नहीं है।	

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक A3444/II/15 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	पेज 6 कार्यवाही तथा आदेश जीवी-लाम्बि	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उपरोक्त बिन्दु (घ) के प्रकाश में मैं अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दि. 12-8-15 एवं कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स का आदेश दि. 26-2-13 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ और निरस्त करता हूँ।	
	कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स उक्त भूमि के दर के आधारों को स्पष्टतापूर्वक विकसित एवं अभिलिखित करते हुए, शासकीय स्टाम्प ड्यूटी आदि के राजस्व को संरक्षित करने के दृष्टिकोण से, स्पष्ट और पारदर्शी कार्यवाही विधिवत कर सकते हैं, जो किए जाने के दौरान उनसे यह अपेक्षा होगी कि उनका आदेश पूर्णतः स्व-स्पष्ट (self-contained) और बोलते स्वरूप का हो।	
	आदेश पारित।	
	पक्षकार एवं कलेक्टर आफ स्टाम्प्स एवं जिला पंजीयक सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा.द. हो।	
	(हस्ताक्षर) 4.3.16	